भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 119
03 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन

***119. श्री अजय कुमार मंडलः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रसायनों और उर्वरकों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों की समस्या के समाधान के रूप में विशेष जैविक खेती गांव बनाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जैविक उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जैविक उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"जैविक उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन" के संबंध में दिनांक 03.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 119 के भाग (क) से (ग) के संबंध में विवरण।

(क): सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एम.ओ.वी.सी.डी.एन.ई.आर.) के माध्यम से देश में प्राथमिकता के आधार पर जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। दोनों ही योजनाएं में जैविक खेती में लगे किसानों अर्थात उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, प्रमाणन और विपणन तथा फसल-उपरांत प्रबंधन में शुरु से अंत तक की सहायता देने पर जोर देती है।

पी.के.वी.वाई. को राज्य सरकार द्वारा क्लस्टर मोड में लागू किया जा रहा है । 20 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल वाले किसानों के समूह को क्लस्टर माना जाता है । पी.के.वी.वाई. के अंतर्गत, प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन, डेटा प्रबंधन, पीजीएस प्रमाणन, मूल्य वर्धन, विपणन और प्रचार जैसे विभिन्न घटकों को शामिल करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, किसानों को ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए डी.बी.टी. के माध्यम से तीन वर्ष की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एम.ओ.वी.सी.डी.एन.ई.आर. योजना के तहत एफपीओ के निर्माण, जैविक इनपुट, गुणवत्तायुक्त बीज/रोपण सामग्री और प्रशिक्षण, हैंड-होल्डिंग और प्रमाणन के लिए किसानों को सहायता देने हेतु 3 वर्षों के लिए 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती इसमें से, किसानों को ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए डी.बी.टी. के माध्यम से तीन वर्ष की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा रोपण सामग्री के लिए 17,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पी.के.वी.वाई. योजना के अंतर्गत बृहद क्षेत्र प्रमाणन (एलएसी) कार्यक्रम पार्टिसिपेट्री गारंटी सिस्टम (पीजीएस) – इंडिया सर्टिफिकेशन के माध्यम से, विशेष जैविक खेती वाले गांवों के निर्माण के लिए बृहद पारंपरिक क्षेत्रों को प्रमाणित करता है। एलएसी के तहत, क्षेत्र के प्रत्येक गांव को एक क्लस्टर/समूह माना जाता है और प्रमाणन के लिए 3 वर्ष के लिए 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ये योजनाएं समीपवर्ती क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि का बड़ा क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत कवर हो सके।

(ख): पिछले तीन वर्षों के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त जैव-उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन का राज्य-वार विवरण (वर्ष-वार) **अनुबंध- I, II, III, IV, V और VI** में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, जैविक उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	कैरियर बेस्ड (एमटी)	लिक्विड बेस्ड (केएल)
2021-22	169379	232934
2022-23	313490	148195
2023-24	224197	86163
कुल	707066	467292

(ग): जैविक खादों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए, डेबलपमेंट ऑफ "बायो-फर्टिलाइजर नेटवर्क प्रोडक्शन यूनिट्स" नामक नए घटक को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के चरण-II के तहत, उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, फर्मेंटेड आर्गेनिक मैन्युर (एफओएम), लिक्विड आर्गेनिक मैन्युर (एलओएम) एवं फॉस्फेट युक्त आर्गेनिक मैन्युर (पीआरओएम) के लिए 1500 रुपये/एमटी की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) के साथ कम्प्रेस्ड बायो-गैस प्लांट द्वारा उत्पादित एलएफओएम/एफओएम प्रदान किया जाता है। सरकार एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को भी बढ़ावा दे रही है, जिसमें मृदा स्वास्थ्य योजना के तहत पारंपरिक सिंथेटिक उर्वरकों के साथ-साथ जैविक खाद और जैव उर्वरकों का उपयोग शामिल है।

राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ) तथा गाजियाबाद, नागपुर, बैंगलोर, इम्फाल और भुवनेश्वर में स्थित इसके क्षेत्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (आरसीओएनएफ) जैविक और प्राकृतिक खेती के साथ-साथ ऑन-फार्म उत्पादन, विभिन्न प्रकार के जैविक और जैव-उर्वरकों के उपयोग और ऑनलाइन जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विभिन्न मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने जैविक अपशिष्ठ से विभिन्न प्रकार की जैविक खाद जैसे कि फॉस्फोकम्पोस्ट, वर्मी -कम्पोस्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट खाद आदि तैयार करने के लिए उन्नत तकनीक विकसित की है और ऐसी तकनीकों को प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से किसानों तक पहुँचाया जा रहा है। जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआर ने विभिन्न फसलों और मृदा के प्रकारों के लिए विशिष्ट जैव उर्वरकों के उन्नत और कुशल स्ट्रैन्श का विकास किया है । हायर शेल्फ-लाइफ वाली लिक्विड जैव उर्वरक तकनीक भी विकसित की गई है।

अनुबंध-I

वर्ष 2021-22 के दौरान जैव-उर्वरकों (कैरियर एण्ड लिक्विड बेस्ड फॉर्म्यूलेशन्स) के उत्पादन का विवरण

क्रं. सं.	राज्य	वर्ष 2021-22	
		कैरियर बेस्ड (मीट्रिक टन)	**लिक्विड बेस्ड** (किलो लीटर में)
1.	आंध्र प्रदेश	354	63
2.	कर्नाटक	1511	1368
3.	केरल	127	661
4.	पुदुचेरी	90	6
5.	तमिलनाडु	लागू नहीं	1109
6.	तेलंगाना	290	105
7.	छत्तीसगढ़	10	103
8.	गुजरात	24772	8030
9.	गोवा	124	लागू नहीं
10.	मध्य प्रदेश	6585	84200
11.	महाराष्ट्र	7453	4681
12.	दिल्ली	173	लागू नहीं
13.	हरियाणा	99810	108982
14.	हिमाचल प्रदेश	120	137
15.	जम्मू और कश्मीर	1	3
16.	पंजाब	3064	86
17.	उत्तर प्रदेश	132	0
18.	उत्तराखंड	3476	567
19.	बिहार	6546	लागू नहीं
20.	ओडिशा	13368	201
21.	पश्चिम बंगाल	703	12
22.	असम	525	22582
23.	मणिपुर	22	25
24.	मिजोरम	1	लागू नहीं
25.	नागालैंड	6	लागू नहीं
26.	सिक्किम	लागू नहीं	11
27.	त्रिपुरा	117	2
	सकल योग	**169379**	**232934**

अनुबंध- II

वर्ष 2022-23 के दौरान जैव-उर्वरकों (कैरियर एण्ड लिक्विड बेस्ड फॉर्म्यूलेशन्स) के उत्पादन का विवरण

क्रं. सं.	राज्य	वर्ष 2022-23	
		कैरियर बेस्ड (मीट्रिक टन)	**लिक्विड बेस्ड** (किलो लीटर में)
1	आंध्र प्रदेश	105	41
2	कर्नाटक	1457	1692
3	केरल	57	लागू नहीं
4	पुदुचेरी	90	8
5	तमिलनाडु	133205	1209
6	तेलंगाना	3453	5195
7	छत्तीसगढ़	374	212
8	गुजरात	67227	112040
9	गोवा	297	लागू नहीं
10	मध्य प्रदेश	6636	18340
11	महाराष्ट्र	7820	5111
12	हरियाणा	61727	1749
13	हिमाचल प्रदेश	46	34
14	जम्मू और कश्मीर	लागू नहीं	3
15	पंजाब	417	2368
16	उत्तर प्रदेश	22663	लागू नहीं
17	उत्तराखंड	3447	646
18	बिहार	1144	867
19	ओडिशा	320	78
20	पश्चिम बंगाल	1034	7
21	असम	427	136450
22	त्रिपुरा	1388	167
	सकल योग	**313490**	**148195**

अनुबंध- III

वर्ष 2023-24 के दौरान जैव-उर्वरकों (कैरियर एण्ड लिक्विड बेस्ड फॉर्म्यूलेशन्स) के उत्पादन का विवरण

क्रं. सं.	राज्य	वर्ष 2023-24	
		कैरियर बेस्ड (मीट्रिक टन)	**लिक्विड बेस्ड** (किलो लीटर में)
1	आंध्र प्रदेश	92	91
2	कर्नाटक	1687	1787
3	केरल	2293	लागू नहीं
4	तमिलनाडु	2334	1237
5	छत्तीसगढ़	271	132
6	गुजरात	138617	लागू नहीं
7	मध्य प्रदेश	32011	20099
8	महाराष्ट्र	7331	11818
9	राजस्थान	24219	3807
10	हरियाणा	10337	1925
11	हिमाचल प्रदेश	55	31
12	जम्मू और कश्मीर	लागू नहीं	6
13	पंजाब	15200	315
14	उत्तर प्रदेश	14869	496
15	उत्तराखंड	3352	756
16	बिहार	2816	लागू नहीं
17	झारखंड	3	लागू नहीं
18	असम	109	22
19	मणिपुर	13	20
20	मेघालय	लागू नहीं	3
21	त्रिपुरा	597	103
	सकल योग	**256208**	**106262**

चालू वर्ष के दौरान जैव-उर्वरकों (कैरियर एवं लिक्विड बेस्ड फार्मूलेशन) के उत्पादन का विवरण

क्रं. सं.	राज्य	2024-25 (अक्टूबर 2024 तक)	
		कैरियर बेस्ड (मीट्रिक टन)	**लिक्विड बेस्ड** (किलो लीटर में)
1	आंध्र प्रदेश	57.5058	41.3723
2	छत्तीसगढ़	270.71	127.16
3	मध्य प्रदेश	25427	13513
4	पंजाब	0	22
5	उत्तर प्रदेश	11800	600
	सकल योग	**37555.2**	**14303.5**

अनुबंध- IV

वर्ष 2021-22 के दौरान जैविक उर्वरकों के उत्पादन का विवरण (मीट्रिक टन में)

क्रं. सं.	राज्य	2021-22 (मीट्रिक टन में)
1	आंध्र प्रदेश	25006
2	असम	130704
3	बिहार	47861
4	छत्तीसगढ़	2166
5	दिल्ली	27657
6	गुजरात	390309
7	हरियाणा	180299
8	हिमाचल प्रदेश	18
9	जम्मू और कश्मीर	5314508
10	कर्नाटक	38089359
11	केरल	38250
12	मध्य प्रदेश	94254
13	महाराष्ट्र	231305
14	मणिपुर	150
15	मेघालय	13518
16	मिजोरम	58
17	नागालैंड	68351
18	ओडिशा	37116
19	पंजाब	473
20	राजस्थान	18330
21	तमिलनाडु	60117
22	तेलंगाना	27695
23	उत्तर प्रदेश	139426
24	उत्तराखंड	6961
25	पश्चिम बंगाल	6664
26	पुदुचेरी	130
	सकल योग	**44950685**

अनुबंध- V

वर्ष 2022-23 के दौरान जैविक उर्वरकों के उत्पादन का विवरण

क्रं. सं.	राज्य	2022-23 (मीट्रिक टन में)
1	आंध्र प्रदेश	272572
2	असम	43773
3	बिहार	53256
4	गोवा	11221
5	गुजरात	278037
6	हरियाणा	71179
7	हिमाचल प्रदेश	33
8	जम्मू और कश्मीर	3250
9	कर्नाटक	2278241
10	केरल	13560
11	मध्य प्रदेश	84598
12	महाराष्ट्र	237843
13	ओडिशा	14764
14	पंजाब	7407
15	राजस्थान	50477
16	तमिलनाडु	231522
17	तेलंगाना	28788
18	त्रिपुरा	947
19	उत्तर प्रदेश	74799
20	उत्तराखंड	7440
21	पश्चिम बंगाल	6705
22	पुदुचेरी	2470
	सकल योग	**3772884**

अनुबंध- VI

वर्ष 2023-24 के दौरान जैविक उर्वरकों के उत्पादन का विवरण

क्रं. सं.	राज्य	2023-24 (मीट्रिक टन में)
1	आंध्र प्रदेश	1858652
2	असम	125812
3	बिहार	22500
4	छत्तीसगढ़	78402
5	गुजरात	257822
6	हरियाणा	74223
7	हिमाचल प्रदेश	4520
8	जम्मू और कश्मीर	85240
9	झारखंड	32831
10	कर्नाटक	2286649
11	मध्य प्रदेश	1388205
12	महाराष्ट्र	343171
13	मणिपुर	150
14	पंजाब	3088335
15	राजस्थान	52220
16	तमिलनाडु	2134453
17	त्रिपुरा	1022
18	उत्तर प्रदेश	802262
19	उत्तराखंड	10750
20	लद्दाख	13681
	सकल योग	**12660900**

वित्त वर्ष 2024-25 (अक्टूबर 2024 तक) के दौरान पिछले तीन वर्षों में जैविक उर्वरकों के उत्पादन का विवरण मीट्रिक टन में

क्रं. सं.	राज्य	2024-25 (24 अक्टूबर तक) (मीट्रिक टन में)
1	आंध्र प्रदेश	1098912
2	मध्य प्रदेश	188938
3	ओडिशा	45790
4	पंजाब	2021010
5	उत्तर प्रदेश	481356
	सकल योग	**3836006**

स्रोत: एनसीओएनएफ/राज्य सरकारें

****